मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 16.6.2010

क्रमांक एफ 5–17/2010/तेरहः राज्य शासन एतद् द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 के अनुसार म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2010–11 के लिये दिनांक 18 मई 2010 को जारी टैरिफ आदेश द्वारा लागू विद्युत दरों में निम्नलिखित उपभोक्ता श्रेणियों कों निम्नानुसार सब्सिडी प्रदान करता हैः–

1. केवल 30 यूनिट तक के मासिक खपत वाले घरेलू उपभोकताओं को 90 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाये।
2. 25 अश्वशक्ति तक संबद्व भार वाले पावरलूम उपभोक्ताओं को 125 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाए एवं इन उपभोक्ताओं से वास्तविक खपत के आधार पर ही भुगतान लिया जाए।
3. निम्नदाब कृषि उपभोक्ताओं हेतु निम्नानुसार सब्सिडी प्रदान की जाए :–

(एल.व्ही.– 5.1)

(1)	स्थायी संयोजन	मीटर युक्त	मीटर रहित
(अ)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत (प्रति यूनिट)	175 पैसे	175 पैसे
(ब)	301 से 500 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत (प्रति यूनिट)	205 पैसे	205 पैसे
(स)	500 यूनिट से ऊपर की खपत (प्रति यूनिट)	190 पैसे	190 पैसे
(2)	अस्थायी संयोजन	190 पैसे प्रति यूनिट	
(3)	डी.टी.आर. मीटर द्वारा विद्युत प्रदाय	150 पैसे प्रति यूनिट	

4. नगर पालिका एवं नगर पंचायत की निम्नदाब सड़कबत्ती योजनाओं हेतु मासिक फिक्स्ड चार्ज पर रू.95 प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाए।
5. उच्च दाब सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार के भुगतान से छूट प्रदान की जाए।

उल्लेखित सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को अनुदान दिनांक 1.4.2010 से 31.5.2010 तक की अवधि हेतु पूर्व वर्ष की लागू टैरिफ दरों एवं दिनांक 1.6.2010 से 31.3.2011 तक आयोग द्वारा दिनांक 18.5.2010 को जारी टेरिफ आदेश से लागू दरों पर लागू किया जाए। उल्लेखित श्रेणी के उपभोक्ताओं को नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों तथा उपरोक्त दर्शाई गयी दरों के अंतर की प्रतिपूर्ति म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल / विद्युत वितरण कंपनियों को टैरिफ सब्सिडी मद में म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जाए। म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के द्वारा अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित की गयी खपत के अनुसार गणना कर उपरोक्तानुसार सब्सिडी प्रदान की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
सही–
(आर.के.कटारे)
अपर सचिव
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 16.6.2010

क्रमांक एफ 5–17/2010/तेरहः राज्य शासन एतद् द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 के अनुसार म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2010–11 के लिये दिनांक 18 मई 2010 को जारी टैरिफ आदेश द्वारा लागू विद्युत दरों में निम्नलिखित उपभोक्ता श्रेणियों कों निम्नानुसार सब्सिडी प्रदान करता हैः–

1. केवल 30 यूनिट तक के मासिक खपत वाले घरेलू उपभोकताओं को 90 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाये।
2. 25 अश्वशक्ति तक संबद्व भार वाले पावरलूम उपभोक्ताओं को 125 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाए एवं इन उपभोक्ताओं से वास्तविक खपत के आधार पर ही भुगतान लिया जाए।
3. निम्नदाब कृषि उपभोक्ताओं हेतु निम्नानुसार सब्सिडी प्रदान की जाए :–

(एल.व्ही.– 5.1)

(1)	स्थायी संयोजन	मीटर युक्त	मीटर रहित
(अ)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत (प्रति यूनिट)	175 पैसे	175 पैसे
(ब)	301 से 500 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत (प्रति यूनिट)	205 पैसे	205 पैसे
(स)	500 यूनिट से ऊपर की खपत (प्रति यूनिट)	190 पैसे	190 पैसे
(2)	अस्थायी संयोजन	190 पैसे प्रति यूनिट	
(3)	डी.टी.आर. मीटर द्वारा विद्युत प्रदाय	150 पैसे प्रति यूनिट	

4. नगर पालिका एवं नगर पंचायत की निम्नदाब सड़कबत्ती योजनाओं हेतु मासिक फिक्स्ड चार्ज पर रू.95 प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाए।
5. उच्च दाब सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार के भुगतान से छूट प्रदान की जाए।

उल्लेखित सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को अनुदान दिनांक 1.4.2010 से 31.5.2010 तक की अवधि हेतु पूर्व वर्ष की लागू टैरिफ दरों एवं दिनांक 1.6.2010 से 31.3.2011 तक आयोग द्वारा दिनांक 18.5.2010 को जारी टेरिफ आदेश से लागू दरों पर लागू किया जाए। उल्लेखित श्रेणी के उपभोक्ताओं को नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों तथा उपरोक्त दर्शाई गयी दरों के अंतर की प्रतिपूर्ति म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल / विद्युत वितरण कंपनियों को टैरिफ सब्सिडी मद में म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जाए। म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के द्वारा अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित की गयी खपत के अनुसार गणना कर उपरोक्तानुसार सब्सिडी प्रदान की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल क`नाम से
तथा आदेशानुसार
सही–
(आर.के.कटारे)
अपर सचिव
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग